"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2012—श्रावण 10, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्रमांक 6425/डी.-172/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-07-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 16 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) अधिनियम, 2012

वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिये राज्य की संचित निधि में से 17,41,42,47,760 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम 2012 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए सत्रह सौ इकतालीस करोड़ बयालीस लाख सैतालीस हजार सात सौ साठ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	0	1,00,00,000	1,00,00,000
03	पुलिस	राजस्व	26,70,64,100	0	26,70,64,100
		पूंजी	10,40,00,000	0	10,40,00,000
05	जेल	राजस्व	85,86,000	0	85,86,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,16,60,000	0	1,16,60,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	10,35,00,000	0	10,35,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	0	5,00,000	5,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,03,40,000	0	1,03,40,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	18,50,00,000	0	18,50,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	75,00,00,000	0	75,00,00,000
18	श्रम	राजस्व	7,56,84,000	0	7,56,84,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	30,20,00,000	0	30,20,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	100	0	100
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	3,60,00,100	0	3,60,00,100
		पूंजी	200	0	200
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	2,19,77,000	0	2,19,77,000
		पूंजी	200	2,86,00,000	2,86,00,200
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	35,25,00,200	0	35,25,00,200
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	3,10,90,000	0	3,10,90,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	24,70,600	0	24,70,600
		पूंजी	300	0	300
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,53,42,000	0	1,53,42,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	3,03,67,00,000	0	3,03,67,00,000
		पूंजी	57,50,00,000	0	57,50,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	96,77,14,[illegible]0	0	96,77,14,100
		पूंजी	59,27,30,500	0	59,27,30,500
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	40,00,000	0	40,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	700	0	700
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	3,00,95,000	0	3,00,95,000
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	13,95,51,000	0	13,95,51,000
		पूंजी	40,95,40,200	0	40,95,40,200
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,81,09,200	0	5,81,09,200
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,79,87,000	0	1,79,87,000
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.	पूंजी	100	0	100
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	200	0	200
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	12,96,62,000	0	12,96,62,000
		पूंजी	29,91,20,300	0	29,91,20,300
65	विमानन विभाग	राजस्व	20,00,00,000	0	20,00,00,000
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	38,00,000	0	38,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	8,84,660	0	8,84,660
		पूंजी	39,92,01,000	0	39,92,01,000
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	49,94,60,000	0	49,94,60,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	300	0	300
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	1,500	0	1,500

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	43,75,200	0	43,75,200
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,39,50,00,000	0	1,39,50,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	20,00,00,000	0	20,00,00,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,04,50,00,000	0	1,04,50,00,000
	योग -	राजस्व	**9,48,60,92,460**	**1,05,00,000**	**9,49,65,92,460**
		पूंजी	**7,88,90,55,300**	**2,86,00,000**	**7,91,76,55,300**
		वृहद योग	**17,37,51,47,760**	**3,91,00,000**	**17,41,42,47,760**

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2012

क्रमांक 6425/डी.-172/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2012)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2012

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2012-2013.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India, as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2012.

Issue of Rs. 17,41,42,47,760 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial year 2012-2013.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of including the sums those specified in the column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, Seventeen Hundred Forty One Crore Forty Two Lac Forty Seven Thousand Seven Hundred Sixty Rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2012-13 in respect of services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote (1)	Services and Purposes (2)		Sums not exceeding (3) Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
01	General Administration	Revenue	0	1,00,00,000	1,00,00,000
03	Police	Revenue	26,70,64,100	0	26,70,64,100
		Capital	10,40,00,000	0	10,40,00,000
05	Jail	Revenue	85,86,000	0	85,86,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	1,16,60,000	0	1,16,60,000
08	Land revenue and district administration.	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue	10,35,00,000	0	10,35,00,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Capital	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
13	Agriculture	Revenue	0	5,00,000	5,00,000
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue	1,03,40,000	0	1,03,40,000
15	Financial assistance to three tier Panchayati Raj Institutions under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	18,50,00,000	0	18,50,00,000
17	Co-operation	Revenue	75,00,00,000	0	75,00,00,000
18	Labour	Revenue	7,56,84,000	0	7,56,84,000
19	Public Health and Family Welfare.	Revenue	30,20,00,000	0	30,20,00,000
20	Public Health Engineering	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department.	Revenue	100	0	100
23	Water Resources Department	Revenue Capital	3,60,00,100 200	0 0	3,60,00,100 200
24	Public works-roads and bridges.	Revenue Capital	2,19,77,000 200	0 2,86,00,000	2,19,77,000 2,86,00,200
25	Expenditure pertaining to Mineral Resources Department.	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
27	School education	Revenue	35,25,00,200	0	35,25,00,200
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	3,10,90,000	0	3,10,90,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue Capital	24,70,600 300	0 0	24,70,600 300
31	Expenditure pertaining to Planning Economics and Statistics Department.	Revenue	1,53,42,000	0	1,53,42,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
32	Expenditure pertaining to Public Relations Department.	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
33	Expenditure pertaining to Tribal Welfare Department.	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Revenue	3,03,67,00,000	0	3,03,67,00,000
		Capital	57,50,00,000	0	57,50,00,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	96,77,14,100	0	96,77,14,100
		Capital	59,27,30,500	0	59,27,30,500
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department.	Revenue	40,00,000	0	40,00,000
45	Minor Irrigation Works	Capital	700	0	700
47	Man-Power Planning and Technical Education Department.	Revenue	3,00,95,000	0	3,00,95,000
		Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
48	Administration Upgradation Grant Under Thirteenth Finance Commission.	Revenue	13,95,51,000	0	13,95,51,000
		Capital	40,95,40,200	0	40,95,40,200
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	5,81,09,200	0	5,81,09,200
56	Rural Industries	Revenue	1,79,87,000	0	1,79,87,000
57	Externally aided Projects pertaining to Water Resources Department.	Capital	100	0	100
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	200	0	200
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue	12,96,62,000	0	12,96,62,000
		Capital	29,91,20,300	0	29,91,20,300
65	Aviation Department	Revenue	20,00,00,000	0	20,00,00,000
66	Welfare of Backward Classes	Revenue	38,00,000	0	38,00,000
67	Public Works-Buildings	Revenue	8,84,660	0	8,84,660
		Capital	39,92,01,000	0	39,92,01,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
68	Public works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Buildings.	Capital	49,94,60,000	0	49,94,60,000
75	NABARD aided Projects pertaining to Water Resources Department.	Capital	300	0	300
76	Externally aided Projects pertaining to Public Works Department.	Capital	1,500	0	1,500
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue	43,75,200	0	43,75,200
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	1,39,50,00,000	0	1,39,50,00,000
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	20,00,00,000	0	20,00,00,000
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue	1,04,50,00,000	0	1,04,50,00,000
		Total Revenue	**9,48,60,92,460**	**1,05,00,000**	**9,49,65,92,460**
		Capital	**7,88,90,55,300**	**2,86,00,000**	**7,91,76,55,300**
		Grand Total	**17,37,51,47,760**	**3,91,00,000**	**17,41,42,47,760**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.